संख्या-395/2025/आई/1092941/23-1-25/004-23-1002(002)/164/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 18 सितम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 28 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-16236/CE-HQ1/RSN3054/GON/2025-26, दिनांक 08-09-2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 28 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 6,13,56,000/- (रूपये छः करोड़ तेरह लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-1 बहराइच	धुरखी संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	37 /2025/आई/ 854717/23-1-25/001-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-17-01-2025	140.98 129.63 102.04 13.73 115.90	81.13	34.77	17.39
2	नि.ख.-1 बहराइच	पी0बी0बी0 मार्ग से कटिलिया भूपसिंह सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	37 /2025/आई/ 854717/23-1-25/001-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-17-01-2025	94.58 84.87 69.02 10.46 74.41	52.09	22.32	22.32

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
3	नि.ख.-1 बहराइच	मछिया मार्ग।	71 /2025 /आई/868723/23-1-25/002-23-1002(002)/11/2025 दिनांक 31.01.2025-दिनांक-31-01-2025	80.72 80.72 65.57 0.76 79.96	43.61	36.35	18.18
4	नि.ख.-1 बहराइच	बहराइच-हुजूरपुर-करनैलगंज-नवाबगंज मार्ग (एस0एच0-155) के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	112/2025/आई/891760/23-1-25/001-23-1002(002)/45/2025-दिनांक-25-02-2025	1055.73 1055.73 834.84 19.40 1036.33	497.26	539.07	100.00
5	नि.ख.-1 बहराइच	खरगौली सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	134 /2025/ आई/907703/23-1-25/001-23-1002(002)/77 /2025-दिनांक-17-03-2025	22.18 22.18 17.08 0.58 21.60	15.12	6.48	6.48
6	नि.ख.-1 बहराइच	चिलहरिया सम्पर्क मार्ग के नवीनीकरण का कार्य।	134 /2025/ आई/907703/23-1-25/001-23-1002(002)/77 /2025-दिनांक-17-03-2025	26.93 26.93 20.60 0.75 26.18	18.33	7.85	7.85
7	प्रा.ख. श्रावस्ती	इकौना सम्पर्क मार्ग से पूरेदीन ग्रामगढ़ जोकवा चैकीदा तक सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	673/2024/आई/825411/23-1-24/001/23-1002(002)/154 /2024 पार्ट-1-दिनांक-16-12-2024	107.64 96.29 78.00 0.08 96.21	67.35	28.86	28.86
8	प्रा.ख. श्रावस्ती	ग्राम पंचायत लालबोझी पेन्टेड रोड से कुम्हारनपुरवा होते हुए अहिरनपुरवा तक सम्पर्क मार्ग। 1,2 व 3	673/2024/आई/825411/23-1-24/001/23-1002(002)/154 /2024 पार्ट-1-दिनांक-16-12-2024	52.60 45.74 37.55 0.06 45.68	31.98	13.70	13.70
9	प्रा.ख. श्रावस्ती	इकौना खरगूपुर मार्ग (गोपालपुर) से बुद्धीपुरवा, पुजारीपुरवा, होलईपुरवा होते हुए मरवटिया तक सम्पर्क मार्ग	75/2025/आई/868724/23-1-25/001-23-1002(002)/11/2025-दिनांक-31-01-2025	51.05 51.05 40.56 0.05 51.00	35.70	15.30	15.30

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
10	नि.ख. बलरामपुर	किशुनपुर ग्रांट मार्ग से होगरीडीह संपर्क मार्ग	41/2025/आई/858936/23-1-25/002-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-2-दिनांक-22-01-2025	25.55 25.55 20.16 1.06 24.49	15.33	9.16	9.16
11	नि.ख. बलरामपुर	एम0जी0बी0एस0एन0 के किमी0 26 से नेवादा सम्पर्क मार्ग	41/2025/आई/858936/23-1-25/002-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-2-दिनांक-22-01-2025	29.43 29.43 23.21 0.76 28.67	17.66	11.01	11.01
12	नि.ख. बलरामपुर	गजपुर ग्रन्ट सम्पर्क मार्ग	41/2025/आई/858936/23-1-25/002-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-2-दिनांक-22-01-2025	28.08 28.08 22.13 0.56 27.52	16.85	10.67	10.56
13	नि.ख. बलरामपुर	पेहर हुसैनाबाद रोड से घिसयावनडीह पक्की सडक तक सम्पर्क मार्ग	71 /2025 /आई/868723/23-1-25/002-23-1002(002)/11/2025 दिनांक 31.01.2025-दिनांक-31-01-2025	57.62 57.62 47.48 6.22 51.40	40.24	11.16	11.16
14	नि.ख. बलरामपुर	एम0जी0बी0एस0एन0 मार्ग से भुसी चौराहा होते हुए चोरघटा घाट सम्पर्क मार्ग	71 /2025 /आई/868723/23-1-25/002-23-1002(002)/11/2025 दिनांक 31.01.2025-दिनांक-31-01-2025	69.84 69.84 51.34 7.56 62.28	38.40	23.88	23.88
15	नि.ख.-1 गोण्डा	शेखापुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	538/2024/240-आरएसएन/23-1-24/001/23-1002(002)/154/2024-दिनांक-18-10-2024	71.43 71.43 57.67 0.14 71.29	23.85	47.44	20.28
16	नि.ख.-1 गोण्डा	वजीरगंज झिलाही मार्ग	75/2025/आई/868724/23-1-25/001-23-1002(002)/11/2025-दिनांक-31-01-2025	71.98 71.98 53.21 0.03 71.95	10.80	61.15	28.78
17	नि.ख.-1 गोण्डा	वजीरगंज टिकरी मार्ग पर पूरे डाडू चौराहा से भिचछुकपुरवा केवली	75/2025/आई/868724/23-1-25/001-23-	61.44 61.44 49.51 0.05	26.10	35.29	17.65

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		जोत पोखरनगंाव सिगधौटी होते हुए पूरे मोती ग्राम तक सम्पर्क मार्ग	1002(002)/11/2025-दिनांक-31-01-2025	61.39			
18	नि.ख.-2 गोण्डा	चिलबिला खत्तीपुरडीहा से तिवारीपुरवा, शुकुलपुरवा, खत्तीपुरवा, गरवारजोत सम्पर्क मार्ग	75/2025/आई/868724/23-1-25/001-23-1002(002)/11/2025-दिनांक-31-01-2025	50.50 50.50 35.57 0.13 50.37	27.72	22.65	20.13
19	नि.ख.-2 गोण्डा	बालपुर कटरा मार्ग के किमी 8 से परसोनीपुरवा से पसियनपुरवा अहिरनपुरवा होते हुए चमारनपुरवा सम्पर्क मार्ग	75/2025/आई/868724/23-1-25/001-23-1002(002)/11/2025-दिनांक-31-01-2025	65.36 65.36 46.00 0.22 65.14	46.42	18.72	18.72
20	नि.ख.-2 गोण्डा	खुर्दासीर मार्ग से गुरवलिया तक सम्पर्क मार्ग	75/2025/आई/868724/23-1-25/001-23-1002(002)/11/2025-दिनांक-31-01-2025	59.42 59.42 41.71 0.14 59.28	42.24	17.04	17.04
21	नि.ख.-2 गोण्डा	नरायनपुर तुलसीपुर से प्राथमिक पाठशाला ठकुरापुर शिवनपुरवा से गोगिया सम्पर्क मार्ग	75/2025/आई/868724/23-1-25/001-23-1002(002)/11/2025-दिनांक-31-01-2025	75.76 75.76 53.05 0.17 75.59	59.54	16.05	16.05
22	प्रा.ख. गोण्डा	अलावल देवरिया पारासराय मार्ग से रैंगाव संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	37 /2025/आई/854717/23-1-25/001-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-17-01-2025	56.49 56.49 36.44 7.41 49.08	29.47	19.61	17.16
23	प्रा.ख. गोण्डा	बसालतपुरवा पक्की सड़क से सीतारामगंज होते हुए पूरे पण्डित वृन्दावन संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	37 /2025/आई/854717/23-1-25/001-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-17-01-2025	93.63 93.63 61.33 12.76 80.87	48.85	32.02	25.00
24	प्रा.ख. गोण्डा	ग्राम पंचायत सीतारामपुर ग्रन्ट से खुटेहना होते हुये	75/2025/आई/868724/23-1-25/001-23-1002(002)/11/202	53.86 53.86 39.90 0.28 53.58	8.08	45.50	21.41

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		जहदागांवके नवीनीकरण का कार्य।	5-दिनांक-31-01-2025				
25	प्रा.ख. गोण्डा	लालनगर से परसदा प्राइमरी पाठशाला होते हुए खरगूपुर विशुनापुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	134 /2025/आई/907703/23-1-25/001-23-1002(002)/77 /2025-दिनांक-17-03-2025	71.10 71.10 55.44 0.18 70.92	0.26	70.66	33.56
26	प्रा.ख. गोण्डा	खरगुपुर इकौना मार्ग से लक्ष्मणपुर प्रा0विद्यालय होते हुए नौसहा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	134 /2025/आई/907703/23-1-25/001-23-1002(002)/77 /2025-दिनांक-17-03-2025	71.15 71.15 55.18 0.14 71.01	0.19	70.82	33.64
27	प्रा.ख. गोण्डा	पृथ्वीनाथ प्राइमरी स्कूल से मिश्रौलिया सम्मयमाता स्थान सुसंगवा होते हुए बडरिया सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	134 /2025/आई/907703/23-1-25/001-23-1002(002)/77 /2025-दिनांक-17-03-2025	70.65 70.65 54.98 0.17 70.48	0.39	70.09	33.29
28	प्रा.ख. गोण्डा	मसकनवा सिकन्दरपुर मार्ग से पटखौली होते हुए वासुदेवपुर ग्रन्ट से भरपुरवा तक संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	137/2025/आई/908711/23-1-25/001-23-1002(002)/79/2025-दिनांक-18-03-2025	51.17 51.17 30.37 0.33 50.84	30.70	20.14	15.00
						कुल योग-	**613.56**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 6,13,56,000/- (रूपये छ: करोड़ तेरह लाख छप्पन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण**"** के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-395/2025/आई/1092941(1)/23-1-25/004-23-1002(002)/164/2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।